<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082024-255963 CG-DL-E-01082024-255963

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2024/श्रावण 9, 1946 No. 572] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2024/SHRAVANA 9, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2024

फा.सं. आरसीडी-10001/4/2021-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई.- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 20 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना तारीख 18 अप्रैल, 2017 में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रुप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित भारतीय रेलवे के अधीन क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथी से अधिसूचित करता है:-

तालिका में, वर्तमान प्रविष्टियो के पश्चात, सम्बंधित स्तंभों में निम्न लिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-

क्र. सं.	खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान और रेलवे
"101	श्री विश्वजीत मोनी	पूर्व रेलवे
102	श्री कु. सतीश	दक्षिण रेलवे
103	श्री चंचल कुमार	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
104	श्री अरुण कुमार	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
105	श्री संजीव कुमार	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

4732 GI/2024 (1)

क्र. सं.	खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान और रेलवे
106	श्री नमोनारायण मीना	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
107	श्री भरत लाल मीना	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
108	श्री पवन कुमार	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे"

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./342/2024-25]

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा.सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I),तारीख 18 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और ततपश्चात अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा.सं. आरसीडी-10001/4/2021-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई, तारीख 16 सितम्बर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2024

F. No. RCD-10001/4/2021-Regulatory-FSSAI.- In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers as Food Safety Officer for the area as mentioned against their names under Indian Railways with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification dated the 18th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 20th April, 2017:-

In the table, after the existing entries, the following shall be inserted in the respective columns, namely:-

Sr. No.	Name of FSO	Place of posting & Railway	
"101	Sh. Biswajit Moni	Eastern Railways	
102	Sh. K. Sathees	Southern Railways	
103	Sh. Chanchal Kumar	Northeast Frontier Railway	
104	Sh. Arun Kumar	Northeast Frontier Railway	
105	Sh. Sanjeev Kumar	Northeast Frontier Railway	
106	Sh. Namonarayan Meena	Northeast Frontier Railway	
107	Sh. Bharat Lal Meena	Northeast Frontier Railway	
108	Sh. Pawan Kumar	Northeast Frontier Railway"	

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./342/2024-25]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide No. F. 1(42) 2011/Railways/FSSAI (Part-I), dated the 18th April, 2017 and last amended vide notification F. No. RCD-10001/4/2021-Regulatory-FSSAI, dated 16th September,2022.